मध्यप्रदेश में
लोक सेवा का बढ़ता सम्मान : अब छटवाँ वेतनमान

कर्मचारी कल्याण की सकारात्मक पहल

सिर्फ़ वादे नहीं – प्रमाण है परिणाम

- दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण।
- ग्राम पंचायतों के सचिवों को तीन वर्ष की संतोषजनक सेवा पर वेतनमान का लाभ।
- आयुर्वेदिक औषधालय में कार्यरत कंपाउंडर और महिला कार्यकर्ताओं का संविदा वेतन बढ़ाकर तीन हजार रुपये।
- औषधालय सेवक का वेतन बढ़ाकर ढाई हजार रुपये।
- अंशकालीन लिपिक पारिश्रमिक डेढ़ हजार रुपये।
- अंशकालीन भृत्य पारिश्रमिक 12 सौ रुपये।
- अंशकालीन सफाई कर्मचारी का पारिश्रमिक पाँच सौ रुपये।
- भूमिहीन कोटवारों को दो हजार रुपये प्रतिमाह।
- आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दो हजार रुपये प्रतिमाह।
- स्वयंसेवी होमगार्ड और अन्य सेवकों को देय वेतन तथा भोजन भत्ते में प्रतिदिन दस-दस रुपये की वृद्धि।
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वर्दी धुलाई की राशि तीस रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये और सिलाई की राशि में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- मंत्रालय कर्मचारियों के सभी संवर्गों में मंत्रालयीन भत्ते में सौ रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी।

वर्तमान सरकार द्वारा इन साढ़े चार साल में दिया गया महंगाई भत्ता

वर्ष 2004	सात प्रतिशत
वर्ष 2005	सात प्रतिशत
वर्ष 2006	11 प्रतिशत
वर्ष 2007	12 प्रतिशत
जुलाई 2008 तक	15 प्रतिशत
कुल	52 प्रतिशत

- संविदा शाला शिक्षकों को अध्यापक का ओहदा।
- शैक्षणिक संवर्गों को ग्रीष्मावकाश के लाभ से वंचित होने की स्थिति में अर्जित अवकाश की पात्रता दस दिन से बढ़ाकर अधिकतम 30 दिन। अर्जित अवकाश अधिकतम सीमा के अधीन उतने ही दिन की होगी जितने दिन ग्रीष्मावकाश।
- शिक्षा कर्मियों की महंगाई भत्ते की राशि 182 प्रतिशत से बढ़ाकर 255 प्रतिशत की गई।
- ग्रीन कार्ड धारक शिक्षा कर्मियों को भी दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ।
- अध्यापक संवर्ग को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता।
- संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम।
- वर्ष 2006 से अभी तक 54 हजार संविदा शाला शिक्षक नियुक्त।
- प्रोन्नत शाला के गुरुजियों का वेतन एक हजार रुपये से बढ़ाकर ढाई हजार रुपये और गैर प्रोन्नत शाला के शिक्षकों का वेतन एक हजार रुपये से बढ़ाकर 1750 रुपये किया गया।

- ब्रह्मस्वरूप समिति की अनुशंसा के अनुसार चालीस विभागों द्वारा सेवा भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाई पूरी।
- जनवरी, 2007 से अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को सरल किया गया।
- नवाचार और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की स्थापना।
- लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट।

लोकतंत्र में सरकार गठन के मायने ही विकास और जनकल्याण हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में इन मायनों को ही तरजीह दी है। विकास की बात हो या कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन दोनों के लिये ही कार्यपालिका की इच्छाशक्ति जरूरी है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रदेश का अधिकारी और कर्मचारी वर्ग आत्मीयता के साथ अपने कर्तव्यों को अंजाम दे।

वर्तमान सरकार ने सबसे पहले अपने वित्त प्रबंधन को मजबूत कर ऐसी स्थिति निर्मित की, जब वर्ष में एक भी दिन, किसी भी शासकीय सेवक का वेतन, भत्ता, चिकित्सा, यात्रा या अन्य प्रकार के भत्तों के भुगतान धनाभाव में लंबित नहीं रहे हैं।

अब जरूरत थी इस वर्ग के लिये सरकार की अच्छी और सच्ची सोच की। प्रदेश सरकार ने इस वर्ग के हितों की निरंतर चिन्ता की और जरूरी निर्णय लिये हैं।

परिणाम है इन साढ़े चार वर्षों में अधिकारी और कर्मचारियों को दिया गया 52 प्रतिशत महंगाई भत्ता, केंद्र के समान महंगाई भत्ते में अब अंतर न आने देने के वादे के साथ। इसी के साथ 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मूल वेतन में मर्ज करने जैसा बड़ा फैसला तुरंत लेना, कर्मचारी हितैषी होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

वर्ष 1999 से 2003 तक दिया गया महंगाई भत्ता

वर्ष 1999	15 प्रतिशत
वर्ष 2000	4 प्रतिशत
वर्ष 2001	4 प्रतिशत
वर्ष 2002	कुछ नहीं
वर्ष 2003	कुछ नहीं
कुल	23 प्रतिशत

परिवार का भरण-पोषण, रहने को घर और बच्चों की शिक्षा, यह छोटा-सा सपना है हमारे प्रदेश के शासकीय सेवकों का। सही समय पर मिले वाजिब हकों से इस सपने को साकार करने में सक्षम भी है यह तबका। फिर क्यों न प्रदेश के विकास और जनकल्याण में तन्मयता से जुटे शासकीय सेवकों के हित में ऐसे फैसले लिये जाएँ।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश